© INNOVATIVE RESEARCH THOUGHTS
Refereed | Peer Reviewed | Indexed
ISSN : 2454 – 308X | Volume : 08 , Issue : 02 | April - June 2022

चुनाव-और- प्रतिनिधित्व की प्रणालियाँ : एक विवेचना

Sushma Rani
B.Ed.(G.J.U), M.A(I.G.N.O.U), NET, JRF
bagaria.sushma@gmail.com

चुनाव

चुनाव या निर्वाचन, लोकतंत्र का एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है जिसके द्वारा जनता (लोग) अपने प्रतिनिधियों को चुनती है। चुनाव के द्वारा ही आधुनिक लोकतंत्रों के लोग विधायिका (और कभी-कभी न्यायपालिका एवं कार्यपालिका) के विभिन्न पदों पर आसीन होने के लिये व्यक्तियों को चुनते हैं। चुनाव के द्वारा ही क्षेत्रीय एवं स्थानीय निकायों के लिये भी व्यक्तियों का चुनाव होता है। वस्तुतः चुनाव का प्रयोग व्यापक स्तर पर होने लगा है और यह निजी संस्थानों, क्लबों, विश्वविद्यालयों, धार्मिक संस्थानों आदि में भी प्रयुक्त होता है। चुनाव और प्रतिनिधित्व शासन में प्रत्यक्ष रूप से लोगों की भागीदारी सर्वोत्तम शासन व्यवस्था का आधार है। परन्तु जनसंख्या वृद्धि तथा राज्य का आकार विशाल होने की वजह से जनता प्रत्यक्ष रूप से सरकार के कार्यो में भाग नही ले सकती। इसीलिए प्रतिनिधी लोकतंत्र को शासन का आधार बनाया गया है।

भारतीय लोकतंत्र की चुनाव प्रक्रिया

भारतीय लोकतंत्र में चुनाव प्रक्रिया के अलग-अलग स्तर हैं लेकिन मुख्य तौर पर संविधान में पूरे देश के लिए एक लोकसभा तथा पृथक-पृथक राज्यों के लिए अलग विधानसभा का प्रावधान है।

भारतीय संविधान के भाग 15 में अनुच्छेद 324 से अनुच्छेद 329 तक निर्वाचन की व्याख्या की गई है। अनुच्छेद 324 निर्वाचनों का अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण का निर्वाचन आयोग में निहित होना बताता है। संविधान ने अनुच्छेद 324 में ही निर्वाचन आयोग को चुनाव संपन्न कराने की जिम्मेदारी दी है। 1989 तक निर्वाचन आयोग केवल एक सदस्यीय संगठन था लेकिन 16 अक्टूबर 1989 को एक राष्ट्रपती अधिसूचना के द्वारा दो और निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति की

लोकसभा की कुल 543 सीटों में से विभिन्न राज्यों से अलग-अलग संख्या में प्रतिनिधि चुने जाते हैं। इसी प्रकार अलग-अलग राज्यों की विधानसभाओं के लिए अलग-अलग संख्या में विधायक चुने जाते हैं। नगरीय निकाय चुनावों का प्रबंध राज्य निर्वाचन आयोग करता है, जबकि लोकसभा और विधानसभा चुनाव भारत निर्वाचन आयोग के नियंत्रण में होते हैं, जिनमें वयस्क मताधिकार प्राप्त मतदाता प्रत्यक्ष मतदान के माध्यम से सांसद एवं विधायक चुनते हैं। लोकसभा तथा विधानसभा दोनों का ही कार्यकाल पांच वर्ष का होता है। इनके चुनाव के लिए सबसे पहले निर्वाचन आयोग अधिसूचना जारी करता है। अधिसूचना जारी होने के बाद संपूर्ण निर्वाचन प्रक्रिया के तीन भाग होते हैं- नामांकन, निर्वाचन तथा मतगणना। निर्वाचन की अधिसूचना जारी होने के बाद नामांकन पत्रों को दाखिल करने के लिए सात दिनों का समय मिलता है। उसके बाद एक दिन उनकी जांच पड़ताल के लिए रखा जाता है। इसमें अन्यान्य कारणों से नामांकन पत्र रद्द भी हो सकते हैं। तत्पश्चात दो दिन नाम वापसी के लिए दिए जाते है ताकि जिन्हे चुनाव नहीं लड़ना है वे आवश्यक विचार विनिमय के बाद अपने नामांकन पत्र वापस ले सकें। 1993 के विधानसभा चुनावों तथा 1996 के लोकसभा चुनावों के लिए विशिष्ट कारणों से चार-चार दिनों का समय दिया गया था। परंतु सामान्यत: यह कार्य दो दिनों में संपन्न करने का प्रयास किया जाता है। कभी कभार किसी क्षेत्र में पुन: मतदान की स्थिति पैदा होने पर उसके लिए अलग से दिन तय किया जाता है। मतदान के लिए तय किये गए मतदान केंद्रों में मतदान का समय सामान्यत: सुबह 7 बजे से सायं 5 बजे तक रखा जाता है।

मताधिकार की आयु

अलग-अलग देशों में वोट डालने की अलग-अलग आयु निर्धारित की गई है। डेनमार्क तथा जापान में 25 वर्ष से उफपर का व्यक्ति ही वोट डाल सकता है, जबकि नार्वे में यह आयु 23 वर्ष है। लेकिन ग्रेट ब्रिटेन, अमेरिका तथा सोवियत संघ में यह आयु 18 वर्ष निर्धारित की गई है। हमारे देश में भी अब वोट डालने के लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष निर्धारित कर दी गई है। इस प्रकार वे सभी स्त्री-पुरफष जिनकी आयु 18 वर्ष है,

बिना किसी भेदभाव के वोट डालने के अधिकारी हैं। मताधिकार का प्रयोग करने के लिए निम्न योग्यताओं का होना अनिवार्य हैः

- वह भारत का नागरिक हो,
- वह 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो,
- वह मानसिक रूप से स्वस्थ हो,
- वह व्यक्ति, जिसे न्यायालय द्वारा दण्डित न किया गया हो।

प्रतिनिधित्व की प्रणालियाँ

सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार सभी नागरिकों को उनके राज्य के शासन में शामिल होने का अवसर देता है। वे अपना प्रतिनिधि चुनते हैं जो इन लोगों के अधिकारों की रक्षा करते हैं। प्रतिनिधियों के चुनाव के दो मुख्य प्रकार हैंः क्षेत्रीय और कार्यकारी प्रतिनिधित्व।

क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व

अधिकांश लोकतांत्रिक देशों में प्रतिनिधि चुनने का यह सबसे लोकप्रिय तरीका है। इसके अंतर्गत किसी क्षेत्रा विशेष के मतदाता अपना प्रतिनिधि चुनने के लिए मत डालते हैं। निर्वाचन के लिए सम्पूर्ण देश को क्षेत्रीय इकाइयों में बांटा जाता है तथा प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रा से एक प्रतिनिधि चुना जाता है। संपूर्ण जनसंख्या को निर्वाचित क्षेत्रों में बांटा जाता है जिनमें लगभग बराबर मतदाता होते हैं।

कार्यकारी प्रतिनिधित्व

कार्यकारी प्रतिनिधित्व का अर्थ है विभिन्न व्यावसायिक समूहों के प्रतिनिधियों का चुनाव जैसा कि औद्योगिक कर्मचारी, व्यापार जगत, वकील, अध्यापक, ट्रांसपोर्टर आदि। इस प्रकार वर्ग विशेष से संबंधित लोगों की अलग-अलग विविध इकाइयां बनाई जाती हैं। उदाहरणार्थ, अध्यापकों का एक निर्वाचन क्षेत्रा हो सकता है जो अपना प्रतिनिधि चुनते हों। निर्वाचन क्षेत्रा को व्यवसाय और कार्य के आधार पर वर्गीवृफत करके उनसे उनका प्रतिनिधि चुनने को कहा जाता है। क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व की तरह यह निर्वाचन क्षेत्रीय आधार पर नहीं बल्कि उनके व्यवसाय पर निर्भर करता है। यह एक ऐसा तरीका है जिसके द्वारा विभिन्न व्यावसायिक समूहों को प्रतिनिधित्व प्राप्त होता है। निर्वाचन

क्षेत्रा मतदाताओं का वह समूह है जो प्रतिनिधि को चुनता है। यह समूह किसी विशेष भौगोलिक क्षेत्रा से संबंधित हो सकता है। लोक सभा तथा राज्य सभा के चुनावों में उन्हीं क्षेत्रों के मतदाता शामिल होते हैं। परंतु राष्ट्रपति के चुनाव में संासदों और विधान सभा में सदस्यों के अलग-अलग निर्वाचन क्षेत्रा होते हैं। एक सदस्यीय या बहु सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्रा भी हो सकते हैं।

एक सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्राः जब किसी निर्वाचन क्षेत्रा से केवल एक सदस्य का चुनाव किया जाए तो उसे एक सदस्यीय कहते हैं। लोक सभा चुनावों में संपूर्ण भारत को 543 इकाइयों में बांटा जाता है। इन 543 क्षेत्रों में से प्रत्येक राज्य और केन्द्र-शासित प्रदेशों में निश्चित इकाइयाँ होती हैं। एक सदस्यीय विधायी इकाई की प्रणाली को भारत, ब्रिटेन, अमेरिका, कनाडा, रफस, आस्ट्रेलिया, नेपाल और पाकिस्तान में अपनाया गया है।

बहुसदस्यीय निर्वाचन क्षेत्राः इस प्रणाली को सामान्य टिकट प्रणाली भी कहते हैं। जब किसी निर्वाचन क्षेत्रा से एक से अधिक सदस्य चुने जाते हैं उसे बहुसदस्यीय निर्वाचन क्षेत्रा कहते हैं। इस प्रकार की प्रणाली स्विटजरलैंड, डेनमार्क, स्वीडन और इटली में हैं। इस प्रणाली में संपूर्ण देश को विशाल निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा जाता है और प्रत्येक इकाई से कई प्रतिनिधियों का चुनाव किया जाता है। राजनैतिक दलों को किसी भी निर्वाचन क्षेत्रा से प्राप्त मतों के आधार पर सीटें मिलती हैं।

बहुसदस्यीय प्रणाली में आनुपातिक प्रतिनिधित्व अपनाया जाता है। निर्वाचित होने के लिए प्रत्याशी को निर्धारित मत प्राप्त करने होते हैं। मतदाताओं को उनके क्षेत्रा से चुने जाने वाले सभी प्रत्याशियों के लिए मत देने होते हैं। प्रत्याशियों के नाम के आगे वे अपना मत अंकित करते हैं। इस तरीके का व्यापक अध्ययन आप आनुपातिक प्रतिनिधित्व वाले अध्याय में करेंगे। इस प्रकार किसी देश में प्रचलित निर्वाचित प्रणाली के अनुसार लोग अपने मताधिकार का प्रयोग करते हैं। अब हम निर्वाचन संबंधी मुख्य प्रणालियों का अध्ययन करेंगे।

सामान्य बहुमत प्रणालीः सामान्य बहुमत प्रणाली के अंतर्गत किसी एक सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्रा में सबसे अधिक मत प्राप्त करने वाले प्रत्याशी को निर्वाचित घोषित किया जाता है। कई बार इस प्रणाली में बहु-कोणीय मुकाबला हो जाता है यदि प्रत्याशी

एक से अधिक हों तो। ऐसे भी कई उदाहरण हैं जहां चार, पांच या उससे भी अधिक प्रत्याशी होते हैं। इस स्थिति में संपूर्ण मतों के 50 प्रतिशत से भी कम मत प्राप्त करने वाला प्रत्याशी विजयी होता है। भारत में आम चुनाव में ऐसा ही देखने को मिलता है। सामान्य बहुमत प्रणाली ब्रिटेन, अमेरिका, कनाडा और अन्य वुफछ देशों में प्रचलित है। इस प्रणाली को 'फ्रस्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम' भी कहते हैं। हमारी लोक सभा और राज्य सभा के सदस्य इसी प्रणाली से चुने जाते हैं।

निष्कर्ष

- जिन देशों में प्रतिनिध्त्वि वाला लोकतंत्रा है वहाँ चुनाव और चुनाव का प्रतिनिध्त्वि वाला स्वरूप लोकतंत्रा को प्रभावी और विश्वसनीय बनाने में निर्णायक भूमिका निभाता है। भारत में चुनाव व्यवस्था की सपफलता अनेक आधरों पर मापी जा सकती है।
- एक, हमारी चुनाव व्यवस्था ने मतदाताओं को न केवल अपने प्रतिनिध्यिों को चुनने की स्वतंत्राता दी है, बल्कि उन्हें वेंफद्र और राज्यों में शांतिपूर्ण ढंग से सरकारों को बदलने का अवसर भी दिया है।
- दो, मतदाताओं ने चुनाव प्रक्रिया में लगातार रुचि ली है और उसमें भाग लिया है। चुनावों में भाग लेने वाले उम्मीदवारों और दलों की संख्या लगातार बढ़ रही है।
- तीन, चुनाव व्यवस्था में सभी को स्थान मिला है और यह सभी को साथ लेकर चली है। हमारे प्रतिनिध्यिों की सामाजिक पृष्ठभूमि भी ध्ीरे-ध्ीरे बदली है। अब हमारे प्रतिनिध् िविभिन्न सामाजिक वर्गों से आते हैं, यद्यपि इनमें अभी महिलाओं की संख्यामें संतोषजनक वृ(ि नहीं हुई है।
- चार, देश वेफ अध्कितर भागों में चुनाव परिणाम चुनावी अनियमितताओं और धँध्ली से प्रभावित नहीं होते यद्यपि चुनाव में धँध्ली करने वेफ अनेक प्रयास किये जाते हैं। आपने चुनावों में हिंसा, मतदाता सूचियों से वोटरों वेफ नाम गायब होने की शिकायतें, डराये-ध्मकाए जाने आदि की शिकायतें अकसर सुनी होंगी।

पिफर भी, ऐसी घटनाओं से शायद ही कोई चुनाव परिणाम प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित होता हो।

संदर्भ ग्रन्थ सूची

1. Behavioral, P., To, A., & Science, P. (2015). Isan: 2455-2224. 1(1), 18–22.
2. Birkenia's, J. R. (2016). The behavioral revolution in contemporary political science: Narrative, identity, practice. ProQuest Dissertations and Theses, 391. https://search.proquest.com/docview/1846129646?accountid=27931
3. EuropeanPoliticalScience15. (n.d.).
4. Ghosh, L. K., & Lecturer, G. (2018). POST-BEHAVIOURALISM : A NEW REVOLUTION IN. 7631(48514), 1–4.